

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0  
पीठासीन अधिकारी :- सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या  
14/2025

दायर दिनांक  
24.01.2025

पर्चा डिक्री दिनांक  
24.06.2025

बउनवान

1. लीलाराम पुत्र पि0 मु0 परमेश्वरी बेवा कान्हा जाति ब्राहमण निवासी मोलावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:- वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जयें श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।


प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरुस्ती इन्द्राज  
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
-: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री बस्तीराम एडवोकट व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 24.06.2025 को श्री सुरेश कुमार बलाई, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

वादी को आराजी ख0 नं0 हाल 965/0.58 है0, वाके ग्राम मोलावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 965 का रकबा 0.33 को कलमजन किया जाकर रकबा 0.58 है0 राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(सुरेश कुमार बलाई) (खैरथल-तिजारा)  
उपखण्ड अधिकारी

मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0